मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:**27.02.2025**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा ‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0’ के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप षड़यंत्र के तहत नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व सामूहिक दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी मानसिंह व विकास को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 7500-7500 के अर्थदण्ड तथा अभियुक्ता जीवन देवी को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा जनपद में चिह्नित महिलाओं/बालिकाओं सम्बन्धित अपराधों सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना को0देहात पर षड़यंत्र के तहत नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व सामूहिक दुष्कर्म करने सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध आरोपी मानसिंह व विकास को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 7500-7500 के अर्थदण्ड तथा अभियुक्ता जीवन देवी को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः17.06.2016 को थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी एक महिला द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को षड़यंत्र के तहत बहला फुसलाकर भगाने व सामूहिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । जिसके आधार पर थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-897/2016 धारा 120बी, 363,366,376डी भादवि व धारा-6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । मुकदमा उपरोक्त में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “सोमेन बर्मा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत तथा महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण अभियान “मिशन शक्ति फेज-5.0” के क्रम में षड़यंत्र के तहत नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म सम्बन्धित उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना को0देहात पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । अभियोजन अधिकारी-एसपीओ सनातन कुमार, विवेचक-उपनिरीक्षक योगेन्दर पाण्डेय, पैरोकार-आरक्षी धीरज कुमार तथा कोर्ट मुहर्रिर महिला मुख्य आरक्षी सुमन कुमारी व आरक्षी आनन्द सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध अभियुक्त 1.मानसिंह पुत्र नन्दलाल व 2.विकास पुत्र भीम निवासीगण माधोपुर थाना पड़री जनपद मीरजापुर को धारा 376डी सपठित धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व 120बी,363,366 भादवि में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 7500-7500 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा अभियुक्ता 3.जीवन देवी पत्नी कमलेश निवासिनी रंगई का पूरा कुरकुटिया पाण्डेय थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को धारा 120बी,363,366 भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

MIRZAPUR POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

थाना को0देहात

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाये जा रहे अभियान **#OperationConviction** के तहत थाना को0देहात पर पंजीकृत अभियोग **मु0अ0सं0-897/2016 धारा 120बी,363,366,376डी भादवि व धारा-6 पाक्सो एक्ट** की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांकः27.02.2025 को मा0न्यायालय द्वारा **दोषसिद्ध अभियुक्त मानसिंह पुत्र नन्दलाल व विकास पुत्र भीम निवासीगण माधोपुर थाना पड़री जनपद मीरजापुर** को **धारा 376डी सपठित धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व 120बी,363,366 भादवि** में **20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 7500-7500 के अर्थदण्ड** तथा **अभियुक्ता-जीवन देवी पत्नी कमलेश निवासिनी रंगई का पूरा कुरकुटिया पाण्डेय थाना को0देहात जनपद मीरजापुर** को **धारा 120बी,363,366 भादवि** में **05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 2500/- के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

लोक अभियोजक

एसपीओ – सनातन कुमार

पैरोकार

आरक्षी – धीरज कुमार

कोर्ट मोहर्रिर

महिला मुख्य आरक्षी — सुमन कुमारी

आरक्षी – आनन्द सिंह

विवेचक

उप-निरीक्षक— योगेन्द्र पाण्डेय

@mirzapurpolice   Mirzapur Police   mirzapur.police